न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 09/2021 रिव्यू प्रार्थना पत्र

सीमा देवी हाल पुजारी श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर, हाईवे चौराहा, सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति, श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी जरिये अध्यक्ष श्री सांवरलाल पिता हीरालाल बलाई निवासी कंवलियास तहसील हुरडा
2. श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामेदव मंदिर विकास समिति श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी जरिये सचिव श्री रामचन्द्र पिता लालराम बलाई निवासी कंवलियास तहसील हुरडा
3. ग्राम पंचायत सरेरी जरिये सरपंच/सचिव तहसील हुरडा

– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश प्रकरण संख्या 40/2017 निगरानी सांवरिया सेठ बनाम ग्राम पंचायत सरेरी निर्णय दिनांक 10.08.2020

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कौशल कुमार जैन अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. श्री रमेश चन्द्र शर्मा (द्वितीय) अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

प्रार्थी की ओर से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 ने एक निगरानी विरूद्व विपक्षी संख्या 3 को पक्षकार बनाया जाकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा एक पटटा श्रीमती पार्वती देवी को जारी किया गया जो मंदिर निर्माण के लिये दिया गया लेकिन पार्वती देवी ने वह पटट स्वयं के नाम पर बनवा लिया तथा यह

प्रार्थीया को उसके हक अधिकार से महरूम किया जा रहा हैं, जिससे यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त निर्णय का पुनर्विलोकन करते हुए निर्णय दिनांक 10.08.2020 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि यह पुनर्विलोकन याचिका सर्वथा मिथ्या, आधारहीन व बेरूनमियाद होने से निरस्तनीय हैं। उक्त निगरानी संख्या 40/2017 श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति वगैरह बनाम ग्राम पंचायत सरेरी दिनांक 10.08.2020 को गुणावगुण पर निर्णय किया गया। जिसके विरूद्व प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में कोई भी रिट अथवा अन्य कोई कार्यवाही नही करायी, जिससे यह आदेश नातिक हो चुका हैं। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तहत नये तथ्य पेश किये जाकर निर्णय प्रभावित नही किया जा सकता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र असत्य, आधारहीन, अस्पष्ट होने से निरस्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – ''यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रकियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । निगरानी प्रकरण सं. 40/2017 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 10.08.2020 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव–

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 40/2017 निर्णय दिनांक 10.08.2020 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 40/2017 निर्णय दिनांक 10.08.2020 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहती हैं, जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा